प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के प्रति अध्यापकों व अभिभावकों की अभिवृत्ति का अध्ययन

प्रिंस परमार*

शिक्षा के बिना किसी राष्ट्र का विकास करना असंभव कार्य है। प्राथमिक शिक्षा बालक के जीवन का आधार है, अत: इस आधार का सशक्त होना अनिवार्य है। प्राथमिक स्तर पर अपव्यय तथा अवरोधन जैसी समस्याओं के कारण प्राथमिक विद्यालयों में अभी तक 100 प्रतिशत नामांकन की संकल्पना पूरी नहीं हो पाई है। इस संकल्पना को पूर्ण करने के लिए ही मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का आरंभ किया गया। प्रस्तुत अध्ययन में यह जानने का प्रयास किया गया है कि दिल्ली के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों तथा इन विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अभिभावकों की इस कार्यक्रम की वर्तमान व्यवस्था, प्रभाव तथा इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं के निवारण हेतु क्या अभिवृत्ति है।

स्वतंत्रता पश्चात् से ही भारत पूर्ण साक्षरता के लिए प्रयासरत है और अपने इस प्रयास को सफ़ल बनाने के लिए अब तक जो प्रयास किए गए, उनमें सबसे महत्वाकांक्षी एवं प्रभावशाली प्रयास है "मध्याह्न भोजन कार्यक्रम"। यह कार्यक्रम विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। यह योजना सर्व शिक्षा अभियान के तहत तथा समर्थित है। सर्व शिक्षा अभियान का इस योजना पर गहरा प्रभाव पड़ा। सर्व शिक्षा अभियान के तहत मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए आवश्यक साधन, उपकरण, बर्तन आदि उपलब्ध कराए गए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी, स्थानीय निकाय तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों और ई.जी.एस. तथा ई.आई.ई.ई. केंद्रों में कक्षा V तक पढ़ने वाले बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करना, सुविधाहीन वर्ग के गरीब बच्चों को कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा कक्षाओं की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित

* बी-18 बुद्ध नगर, इन्द्र पुरी नयी दिल्ली 110012

Chapter 4.indd 30 4/13/2017 4:34:55 PM

करने के लिए प्रोत्साहित करना, गर्मियों की छुट्टियों के दौरान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर के बच्चों को पोषण सहायता उपलब्ध कराना तथा विद्यालयों में आपस में मिल बैठकर खाना खिलाकर जातिगत भेदभाव दूर कर सामाजिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया को तेज़ करना है, क्योंकि किसी भी देश के मानव विकास सूचकांक की एक बुनियादी कसौटी यह है कि वहाँ प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माहौल कैसा है।

भारत सरकार ने 15 अगस्त 1995 को प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम शुरू किया था। इस योजना का लक्ष्य नामांकन, प्रतिधारण और उपस्थिति में वृद्धि करना, बच्चों को पढ़ाई के दौरान लगने वाली भूख को शांत करना, प्राथमिक स्तर के बच्चों की पोषाहार स्थिति को बेहतर बनाना, जिससे उनकी वाक्शक्ति, स्नायिक तथा ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का विकास किया जा सके, उनमें शारीरिक वंचना के कारण उत्पन्न होने वाली असुरक्षा की भावना, व्याकुलता, तनाव को दूर करना, उनका ज्ञानात्मक, भावात्मक, सामाजिक विकास करना तथा प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण को बढ़ावा देना है।

प्रारंभ में यह योजना सरकारी, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त और स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों के कक्षा 1-5 तक के बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए देश के 2408 ब्लॉकों में क्रियान्वित की गई। वर्ष 2007 में इस योजना में उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षा 6-8 तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े बच्चों को शामिल कर लिया गया। किसी भी इमारत का सुदृढ़ ढाँचा खड़ा करने के लिए उसकी नींव का मज़बूत होना आवश्यक है। प्राथमिक शिक्षा भी एक बालक के शैक्षिक जीवन की नींव है जिसके आधार पर उसका भविष्य निर्धारित होता है, किंतु अपव्यय और अवरोधन, बढ़ती हुई जनसंख्या, प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण तथा उनमें सुविधाओं की कमी, शिक्षकों की उदासीनता, नीरस शिक्षण विधियाँ, अभिभावकों की उदासीनता जैसी समस्याओं के कारण बालक अपनी प्राथमिक स्तर की शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाते हैं। सरकारी, स्थानीय निकायों और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में दाखिला बढ़ाने व पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने के अलावा इस कार्यक्रम का उद्देश्य उनके पोषाहार के स्तर मे सुधार करना भी है। प्रस्तुत शोध में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के प्रति अध्यापकों व अभिभावकों की अभिवृत्ति का अध्ययन किया गया है ताकि यह ज्ञात किया जा सके कि प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराए जाने के प्रति उनका क्या नज़रिया है? प्राथमिक विद्यालयों में बालकों का अधिक से अधिक नामांकन कराने में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम क्या एक अभिप्रेरणा का कार्य कर रहा है?

शर्मा (1976) द्वारा राजस्थान के कोटा तथा उदयपुर शहरों में किए गए अध्ययन में पाया कि मुफ़्त भोजन, पुस्तकें, पोशाक व छात्रवृत्ति जैसे प्रोत्साहन कार्यों द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि हुई तथा विद्यार्थियों के परीक्षा परिणामों में

सुधार हुआ। श्रीवास्तव (1999) द्वारा मध्य प्रदेश में राजगढ़ जिले के प्राथमिक विद्यालयों में किए गए अध्ययन में पाया कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का इन विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं के नामांकन तथा उपस्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। राज्य सभा तथा लोकसभा में Department Related Parliamentary Standing Committee on Human Resource Development द्वारा 1 अप्रैल 2003 में प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार 10 राज्यों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का मूल्यांकन करने के पश्चात् समिति ने निष्कर्ष निकाला कि इस कार्यक्रम का विद्यार्थियों की उपस्थिति तथा ठहराव पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है।

उपरोक्त अध्ययनों से स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तर पर मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन का विद्यार्थियों के नामांकन स्तर, परीक्षा परिणामों व उनकी विद्यालयों में उपस्थिति तथा ठहराव पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, लेकिन प्राथमिक स्तर पर मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन के प्रति अध्यापकों व अभिभावकों की अभिवृत्ति से संबंधित कोई शोधकार्य नहीं पाया गया। अत: इसी शोध रिक्तता के कारण शोधकर्ता द्वारा प्राथमिक स्तर पर मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन के प्रति अध्यापकों व अभिभावकों की अभिवृत्ति का अध्ययन किया गया।

समस्या का औचित्य

शिक्षा का अधिकार एक्ट – 2009 के अनुसार सभी बालकों को जिनकी आयु 6-14 वर्ष है, को नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी और यह दायित्व राज्य सरकार व केंद्रीय सरकार दोनों का होगा। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के नामांकन के आँकड़े (सारणी-1) दर्शाते हैं कि अभी तक भारत में शत-प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए गए, जिनमें से एक प्रयास मध्याह्न भोजन कार्यक्रम भी है, किंतु अभी भी लाखों बालक विद्यालय जाने से वंचित हैं। संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम पर रोक होने के बावजूद आज भी बच्चे खतरनाक उद्योगों, दुकानों, होटलों, ढाबों आदि में काम करते देखे जा सकते हैं (सारणी 2)। अगर भारत को एक संपूर्ण शिक्षित राष्ट्र बनाना है तो हमें शिक्षा का प्रचार-प्रसार, संबंधित योजनाओं तथा कार्यक्रमों को जन-जन तक पहुँचाना होगा तथा इसके सभी पक्षों पर गहन विचार करना होगा, जैसे – अभिभावक बच्चों को विद्यालय क्यों नहीं भेजते? बालकों के विद्यालय न जाने के कौन-कौन से सामाजिक व आर्थिक कारण हैं? क्या बच्चों को अपने अधिकारों के विषय में जानकारी है? क्या अभिभावकों को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी है? अभिभावकों का सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के प्रति क्या दृष्टिकोण है? संचालित कार्यक्रम का संचालन, प्रबंधन तथा प्रभावशीलता कैसी है? इन सभी के विषय में अध्ययन करने हेतु इस समस्या का चयन किया गया है।

शोध प्रक्रिया

1. प्रस्तुत शोध के उद्देश्य थे –

(क) प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अभिभावकों की मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करना।

(ख) मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के प्रति अध्यापकों की अभिवृत्ति का अध्ययन करना।

2. परिकल्पनाएँ

प्रस्तुत शोध की परिकल्पनाएँ थीं –

(क) प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत पुरुष तथा महिला अध्यापकों की मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के प्रति अभिवृत्ति सकारात्मक है।

(ख) व्यवसायी वर्ग तथा सर्विस वर्ग के अभिभावकों की मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के प्रति अभिवृत्ति सकारात्मक है।

3. शोध सीमांकन

(क) प्रस्तुत शोध को दिल्ली शहर के पाँच प्राथमिक विद्यालयों तक सीमित रखा गया था।

(ख) प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अभिभावकों (25 व्यवसायी वर्ग (निजी व्यवसाय) तथा 25 सर्विस वर्ग (सार्वजनिक सेवा) तथा इन विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों (25 महिला तथा 25 पुरुष) को ही अध्ययन में शामिल किया गया था।

4. अध्ययन विधि

प्रस्तुत शोध के लिए वर्णात्मक सर्वेक्षण विधि प्रयुक्त की गई थी।

5. न्यादर्श चयन

प्रस्तुत शोध में न्यादर्श चयन निम्न चरणों में पूर्ण किया गया था–

(क) सोद्देश्य पूर्ण आकस्मिक विधि द्वारा पाँच प्राथमिक विद्यालयों को चयनित किया गया था, जिनमें अध्ययनरत विद्यार्थियों के 50 अभिभावकों तथा इन विद्यालयों में कार्यरत 50 अध्यापकों का चयन किया गया।

(ख) निश्चित क्रम विधि के आधार पर प्रत्येक विद्यालय से 10 अभिभावकों (5 व्यवसायी वर्ग तथा 5 सर्विस वर्ग) तथा 10 अध्यापकों (5 पुरुष तथा 5 महिला) को चयनित किया गया।

6. उपकरण चयन

अभिभावकों तथा अध्यापकों की अभिवृत्ति का अध्ययन करने के लिए अभिभावक अभिवृत्ति मापनी (स्वनिर्मित उपकरण) तथा अध्यापक अभिवृत्ति मापनी (स्वनिर्मित उपकरण) का प्रयोग किया गया। मापनी में क्षेत्रवार कथनों का निर्माण क्षेत्रों के चयन के पश्चात् किया गया, जिसमें कुल 21 कथन हैं और अभिवृत्ति का मापन हाँ/नहीं में अंकित किया गया। प्रत्येक कथन का मूल्यभार विस्तार एक से पाँच है।

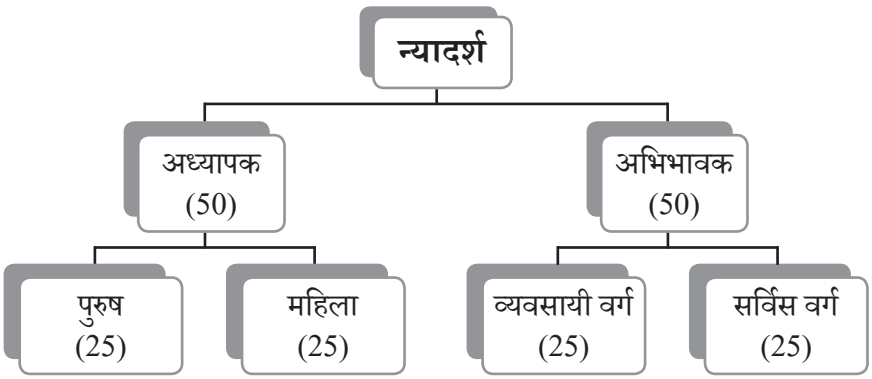

(i) अध्यापक अभिवृत्ति प्रमापनी

क्र.स.	क्षेत्र का नाम	कथनों की संख्या
1.	मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की वर्तमान व्यवस्था	05
2.	मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का प्रभाव	06
3.	मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन में आने वाली समस्या	05
4.	मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के उत्तम क्रियान्वयन के लिए सुझाव	05
	कुल	21

(ii) अभिभावक अभिवृत्ति प्रमापनी

क्र.स.	क्षेत्र का नाम	कथनों की संख्या
1.	मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की वर्तमान व्यवस्था	05
2.	मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का प्रभाव	06
3.	मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन में आने वाली समस्या	05
4.	मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के उत्तम क्रियान्वयन के लिए सुझाव	05
	कुल	21

7. सांख्यिकी प्रविधियाँ

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के प्रति अभिवृत्ति के मापन के संबंध में एकत्रित आँकड़ों के विश्लेषण हेतु मध्यमान, मध्यांक, मानक त्रुटि, प्रमाणिक विचलन तथा टी-मान परीक्षण का उपयोग किया गया।

शोध कार्य की उपलब्धियाँ एवं विवेचन

(i) अभिभावकों की अभिवृत्ति का अध्ययन

सारणी 1 – अभिभावक समूह, मध्यमान, मध्यांक, मानक त्रुटि, प्रमाणिक विचलन तथा टी-मान

क्रम संख्या	समूह	संख्या	मध्यमान	मध्यांक	मानक विचलन	मानक त्रुटि	टी-मान
1.	व्यवसायी वर्ग	25	17.6	19.5	3.18	0.12	0.95
2.	सर्विस वर्ग	25	15.4	22	2.48	0.09	
3.	कुल	50	16.5	20.75	2.83	0.21	

सार्थकता स्तर – 0.05 पर t का मान = 1.96

सार्थकता स्तर – 0.01 पर t का मान = 2.58

उपरोक्त सारणी 1 से स्पष्ट है कि व्यवसायी वर्ग के अभिभावकों की मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के प्रति अभिवृत्ति का मध्यमान 17.6 है एवं सर्विस वर्ग के अभिभावकों की मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के प्रति अभिवृत्ति का मध्यमान 15.4 है। दोनों समूहों का टी-मूल्य परीक्षण करने पर 0.95 का मान प्राप्त हुआ जोकि 0.01 तथा 0.05 के सार्थकता स्तर पर सार्थक नहीं है। अंतर की असार्थकता से प्रतीत होता है कि व्यवसायी वर्ग के अभिभावकों तथा सर्विस वर्ग के अभिभावकों की अभिवृत्ति मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के प्रति सकारात्मक है। इस प्रकार परिकल्पना व्यवसायी वर्ग के अभिभावकों तथा सर्विस वर्ग के अभिभावकों की अभिवृत्ति मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के प्रति सकारात्मक है, स्वीकृत की जाती है। क्योंकि दोनों ही वर्ग मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की वर्तमान व्यवस्था से संतुष्ट हैं तथा इस कार्यक्रम के प्राथमिक शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव को सकारात्मक प्रभाव मानते हैं। व्यवसायी वर्ग तथा सर्विस वर्ग दोनों ही वर्गों के अभिभावक इस तथ्य से सहमत हैं कि इस कार्यक्रम ने प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के नामांकन में वृद्धि की है। प्राथमिक स्तर पर नामांकन की दर में वृद्धि तभी संभव है, जब अपव्यय और अवरोधन की समस्या को दूर किया जाए तथा विद्यार्थियों के ठहराव पर ध्यान केंद्रित किया जाए। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम द्वारा उपरोक्त कार्य को संभव बनाया जा रहा है।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि व्यवसायी वर्ग तथा सर्विस वर्ग के अभिभावक मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को प्राथमिक शिक्षा में सुधार लाने तथा प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों के ठहराव के लिए उपयुक्त मानते हैं। इस कार्यक्रम को और अधिक बेहतर बनाने के लिए उनके द्वारा सुझाव भी दिए गए, जैसे – इस कार्यक्रम से होने वाले लाभों तथा इस कार्यक्रम की महत्ता को अभिभावकों को

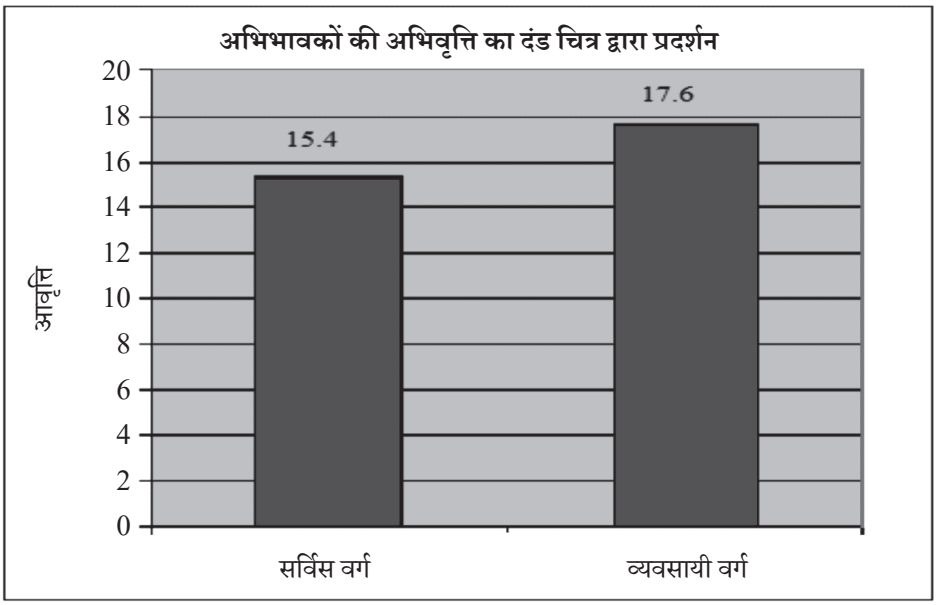

ज्ञात कराया जाए, एक अभिप्रेरणा के रूप में इस कार्यक्रम को जन-जन तक पहुँचाया जाए, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में थोड़े और सुधार किए जाएँ आदि।

(ii) अध्यापकों की अभिवृत्ति का अध्ययन

उपरोक्त सारणी 2 से स्पष्ट है कि की मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के प्रति पुरुष अध्यापकों की अभिवृत्ति का मध्यमान 15.2 तथा महिला अध्यापकों की अभिवृत्ति का मध्यमान 15.5 है। दोनों समूहों का टी. मूल्य परीक्षण करने पर 0.15 का मान प्राप्त हुआ जो कि 0.01 तथा 0.05 के सार्थकता स्तर पर सार्थक नहीं है। इस प्रकार परिकल्पना प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत पुरुष तथा महिला अध्यापकों की मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के प्रति अभिवृत्ति सकारात्मक है, स्वीकृत की जाती है। अत: टी- मूल्य से प्राप्त मान के आधार पर कहा जा सकता है कि पुरुष अध्यापकों तथा महिला अध्यापकों की मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के प्रति अभिवृत्ति समान हैं क्योंकि दोनों वर्गों के मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के प्रभाव के विषय में व्यक्त मतों में कोई विशेष अंतर नहीं पाया गया और न ही इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन से अत्यधिक असंतुष्ट हैं। अध्यापकों का भी मानना है कि यदि भारत में प्राथमिक शिक्षा का स्तर सुधारना है तथा नामांकन दर में वृद्धि करनी है तो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम इसे संभव कर सकता है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में कुछ और सुधार करने के पश्चात् यह कार्यक्रम और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है, यद्यपि इस कार्यक्रम से शिक्षकों के कार्यभार में वृद्धि हुई फ़िर भी अध्यापकों की अभिवृत्ति इस कार्यक्रम के प्रति सकारात्मक है।

निष्कर्ष

1. अभिभावक तथा अध्यापकों की मध्याह्न पोषाहार कार्यक्रम के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया तथा दोनों ही वर्गों की अभिवृत्ति सकारात्मक है।
2. मध्याह्न पोषाहार कार्यक्रम की वर्तमान व्यवस्था तथा क्रियान्वयन के विषय में व्यवसायी वर्ग के अभिभावकों की अपेक्षा सर्विस वर्ग के अभिभावक अधिक संतुष्ट हैं।
3. मध्याह्न पोषाहार कार्यक्रम संबंधी समस्याओं के निवारण संबंधी उपायों के विषय में पुरुष अध्यापक महिला अध्यापकों की तुलना में कम संतुष्ट हैं।
4. मध्याह्न पोषाहार कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने के विषय में अध्यापक वर्ग की अपेक्षा अभिभावक वर्ग ने अधिक सुझाव दिए।

सारणी 2 – अध्यापक समूह, मध्यमान, मध्यांक, मानक त्रुटि, प्रमाणिक विचलन तथा टी-मान को दर्शाती सारणी

क्रम संख्या	समूह	संख्या	मध्यमान	मध्यांक	मानक वचलन	मानक त्रुटि	टी- मान
1.	पुरुष अध्यापक	25	15.2	19.5	6.46	0.25	0.15
2.	महिला अध्यापक	25	15.5	19.5	3.54	0.14	
3.	कुल	50	15.35	19.5	5	0.39	

सार्थकता स्तर - 0.05 पर t का मान = 1.96

सुझाव

प्रस्तुत शोध से प्राप्त परिणामों से स्पष्ट है कि मध्याह्न पोषाहार कार्यक्रम का प्रभाव प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की नामांकन दर पर सकारात्मक रूप में पड़ा है। इस कार्यक्रम की प्रभावशीलता में और अधिक वृद्धि करने के लिए इस कार्यक्रम की वर्तमान व्यवस्था में आने वाली कमियों को दूर करना होगा। मध्याह्न पोषाहर कार्यक्रम के संबंध में सामाजिक जागरूकता फ़ैलायी जानी चाहिए ताकि वे अभिभावक जो अपने बच्चों की शिक्षा की उपेक्षा करते हैं, वे भी अभिप्रेरित होकर अपने बच्चों को विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजें।

शिक्षकों पर मध्याह्न पोषाहार कार्यक्रम के कारण पड़ने वाले अतिरिक्त कार्यभार को कम किया जाना चाहिए ताकि अध्यापक शिक्षण कार्य में रुचिपूर्वक अधिक-से-अधिक समय दे सकें। इस कार्यक्रम को और प्रभावी बनाने के लिए प्रशासन को भी इस कार्यक्रम से जुड़ी समस्याओं का शीघ्र निवारण करना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा स्तर में सुधार करने तथा प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन वृद्धि करने के लिए विद्यालयों में विद्यार्थियों का ठहराव हो और विद्यार्थी रुचि अनुसार शिक्षा प्राप्त करें। मध्याह्न पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालयों में दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता जाँच

की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे विद्यार्थियों के स्वास्थ्य में सुधार हो सके। अभिभावकों की सहभागिता इस कार्यक्रम में बढ़ाई जानी चाहिए और उनको परामर्श दिया जाना चाहिए। सरकार द्वारा जनहित के लिए कई योजनाएँ बनाई जाती हैं तथा चलाई जाती हैं। जन सामान्य तक इन योजनाओं संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि जनमानस को योजनाओं का अधिक-से-अधिक लाभ मिल सके।

मध्याह्न पोषाहार कार्यक्रम की व्यवस्था एवं प्रभावशीलता के संबंध में अभिभावकों तथा अध्यापकों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया। यह योजना पूरी तरह से इन अभिभावकों तथा अध्यापकों की आकांक्षा के अनुरूप नहीं है, तथापि 82 प्रतिशत अभिभावक तथा 89 प्रतिशत अध्यापकों ने इस बात से अपनी सहमति व्यक्त की कि यह कार्यक्रम एक उत्तम व्यवस्था है, जिसमें विद्यालयों को सामान्य भोजन प्रदान किया जाता है। अभिभावकों का मत है कि बालकों की रुचि विद्यालय जाने में बढ़ी है तथा उनमें सामाजिकता व अच्छी आदतों का विकास हुआ है। तथा अध्यापकों को इस अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त रखना चाहिए। अत: इस कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रशासन को इस कार्यक्रम से जुड़ी समस्याओं का शीघ्र निवारण करना चाहिए, जिससे इस कार्यक्रम को और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके।

संदर्भ

अग्रवाल डी.के., के. एन. अग्रवाल और एस. के. उपाध्याय. 1989. 'इफ़ेक्ट ऑफ़ मिड डे मील प्रोग्राम ऑन फ़िज़िकल ग्रोथ एंड मेंटल ग्रोथ'. *इंडियन जर्नल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च*. जून 1990. पृ. 163-74.

गैरट, हैनरी ई. और वुडवर्थ आर. एस. 2007. *शिक्षा और मनोविज्ञान में सांख्यिकी के प्रयोग*. के. जी. पब्लिशर्स, लुधियाना.

ढौंढियाल, एस. एन. और पाठक ए. बी. 2003. *शैक्षिक अनुसंधान एवं विधिशास्त्र*. राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, 2003. पृ.421.

भारत राजपत्र. 2009. *नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम – 2009*. भाग – 2. विभाग – 1, नयी दिल्ली. 2009.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 2004. *सर्व शिक्षा अभियान – ए प्रोग्राम ऑन यूनिवर्सालाइज़ेशन ऑफ़ एलीमेंटरी एजुकेशन*. भारत सरकार, नयी दिल्ली.

राय, पारसनाथ. 2008. *अनुसंधान परिचय*. लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशक, आगरा.

शर्मा, वी.एस. 1976. *इंक्रीज़ इन एनरोलमेंट इन प्राइमरी स्कूल, एफ़र्ट्स एंड रिज़ल्ट्स*. एस.आई.ई., राजस्थान.

श्रीनिवासन, जी. 1999. प्रोमोशन ऑफ़ एनरोलमेंट एंड रीटेंशन ऑफ़ गर्ल्स एट द प्राइमरी लेवल थ्रू इंक्लूसिव स्कीम. *डी.पी.ई.पी. कांलिंग*. वॉल्यूम III, नम्बर 8 और 9.